

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 228 सन 2021

अनवान :-

1. जीतराम पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. राजकुमार पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
3. दर्शना पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
4. श्योदतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
5. संजयबाला पुत्री श्योदत जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
6. आदराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
7. भाली देवी पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
8. पुष्पा देवी पत्नी आदराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 की कुल 5.5571 हैक् भूमि दुलाराम पुत्र सहीराम , खाता संख्या 763/229 की कुल 1.7714 हैक् भूमि आदराम पुत्र दुलाराम खाता संख्या 764/229 की कुल 2.0295 हैक् भूमि पुष्पादेवी पत्नी आदराम , चक राजासर के खाता संख्या 182/177 की कुल 9.6360 हैक् भूमि पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 , 2 , 6 , 8 के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि वादी के दादा सहीराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 , 2 , 6 , 8 के नाम से दर्ज है । वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , 7 का प्रतिवादी संख्या 1 , 2 , 6 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है ।

प्रतिवादी संख्या 3, 5 , 7 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 6 , 8 की पुत्री हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 , 6 , 8 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 , 6 , 8 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 , 6 , 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है ।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 , 2 , 6 , 8 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 , 6 , 8 खातेदार काश्तकार जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उनके पूर्वजो ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1,2,6,8 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,6,8 का प्रतिवादी संख्या 3,4,5,7 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3,5,7 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6,8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646, न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है। अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 की कुल 5.5571 हैक् भूमि दुलाराम पुत्र सहीराम, खाता संख्या 763/229 की कुल 1.7714 हैक् भूमि आदराम पुत्र दुलाराम खाता संख्या 764/229 की कुल 2.0295 हैक् भूमि पुष्पादेवी पत्नी आदराम, चक राजासर के खाता संख्या 182/177 की कुल 9.6360 हैक् भूमि पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2,6,8 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2,6,8 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 3,5,7 वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6,8 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3,5,7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने

अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में वादीगण रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 के खसरा न01191/133 की कुल 3.0050हैक् , खसरा न0 1193/141 की 0.5226हैक् कुल 3.5276 हैक् भूमि में से वादी संख्या 2 अकेला 2.277हैक् एवं वादी संख्या 1 अकेला 1.2506हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार होगा, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 के खसरा न0 1195/871 की कुल 2.0295हैक् में से 0.506हैक् में से प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी एवं 1.5235हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के पास रहेगी। प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 763/229 की कुल 1.7714हैक् भूमि यथावत रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 के पास रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 182/177 की कुल 9.6360हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम को 46/219 हिस्सा में से 0.506हैक् भूमि खातेदार काश्तकार रहेगा एवं शेष 1.518हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास यथावत रहेगी एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 764/229 की कुल 2.0295हैक् में से 0.506हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी एवं शेष 1.5235हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 8 खातेदार काश्तकार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....सोनडी.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जीतराम पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. राजकुमार पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
3. दर्शना पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
4. श्योदतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
5. संजयबाला पुत्री श्योदत जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
6. आदराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
7. भाली देवी पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
8. पुष्पा देवी पत्नी आदराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 228 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में वादीगण रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 के खसरा न01191/133 की कुल 3.0050हैक , खसरा न0 1193/141 की 0.5226हैक कुल 3.5276 हैक भूमि में से वादी संख्या 2 अकेला 2.277हैक एवं वादी संख्या 1 अकेला 1.2506हैक भूमि का खातेदार काश्तकार होगा, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 229/208 के खसरा न0 1195/871 की कुल 2.0295हैक में से 0.506हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी एवं 1.5235हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के पास रहेगी। प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 763/229 की कुल 1.7714हैक भूमि यथावत रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 के पास रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 182/177 की कुल 9.6360हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वीसिंह पुत्र दुलाराम को 46/219 हिस्सा में से 0.506हैक भूमि खातेदार काश्तकार रहेगा एवं शेष 1.518हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास यथावत रहेगी एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 764/229 की कुल 2.0295हैक में से 0.506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी एवं शेष 1.5235हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 8 खातेदार काश्तकार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट नोहर